न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2016-00014RAAJodhpur2016-54RTA225 Bhagirath ors Vs Dariyav kanwar etc

01. भागीरथ उर्फ भाकरराम पुत्र सुरताराम
02. हरिराम पुत्र सुरताराम
03. हरलाल पुत्र सुरताराम
04. मोहनरामपुत्र सुरताराम
    जातियान् विश्नोई निवासीगण- ग्राम अणवाणा,
    तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. दरियाव कंवर पत्नी भीखूसिंह
2. सुगन कंवर पत्नी गोपालसिंह
3. पुनम कंवर पत्नी पालसिंह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम अणवाणा,
   तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
4. नरसिंह राम पुत्र गुणेशाराम
5. रूघनाथ पुत्र गुणेशाराम
6. लिखमाराम पुत्र दानाराम
7. केशाराम पुत्र दानाराम
8. रामाराम पुत्र लालूराम **{ नाम तर्क}**
   सभी जातियान् मेघवाल, निवासी- ग्राम अणवाणा,
   तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
9. दुर्गाराम पुत्र गुणेशाराम **{ नाम तर्क}**
10. बिदामी देवी पत्नी गुणेशाराम **{ नाम तर्क}**
    जातियान् जटिया, निवासी- ग्राम अणवाणा, तहसील
    बावड़ी, जिला जोधपुर।
11. शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई. बैंक शाखा गंगाणी, जिला
    जोधपुर।
12. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक, शाखा बावड़ी, जिला
    जोधपुर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बावड़ी, जिला
    जोधपुर।
14. भू-अभिलेख निरीक्षक डांवरा, तहसील बावड़ी , जिला
    जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 05 फरवरी 2016 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 244/2012 दरियाव कंवर व अन्य बनाम भागीरथ इत्यादि

उपस्थित-

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री युवराज विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1 से 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 13

नि र्ण य

दिनांक : 30 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 244/2012 दरियाव कंवर व अन्य बनाम भागीरथ इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 फरवरी 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 17 जून 2016 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 737/1 रकबा 19 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 737 रकबा 19.08 बीघा ग्राम अणवाणा में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि 738 में सें सलंग्न नक्शा अनुसार मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 फरवरी 2016 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो संख्या एक से तीन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नं. 719 की भूमि में से रास्ता उपलब्ध है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के विपरीत जाकर निर्णय पारित कर दिया गया, जिसका कोई आधार नहीं था। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन का कब्जा काश्त ही नहीं है। मौके पर उकारसिंह पुत्र भीवसिंह व उसके पुत्र सतमोहनसिंह व राणुसिंह व उसके परिवार के सदस्यों का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है तथा मौके पर काई कटाणी रास्ता नहीं है। नृसिंहराम व रुघनाथमराम को बेचान की गई भूमि जो मार्ग के लिए रजिस्ट्री करवायी, जो उनके निजी मार्ग के लिए है, जिसमें दरियाव कंवर इत्यादि का कोई लेना-देना नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा मार्क ए. से बी. स्थान तक बीस फीट रास्ते के लिए आदेश किया, परन्तु यह नही लिखा कि ए से बी के बीच कौनसे खसरे की भूमि आयेगी, उस खसरे का उल्लेख ही नहीं किया गया तथा उक्त आदेश में यह भी उल्लेख नही किया कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नक्शा प्रमाणित ही नहीं था और नक्शे में दिशा ही बदल दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त नक्शे को निर्णय का पार्ट मानने में भारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूल की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 10.06.2016 को मौके पर रेस्पोडेंट्स द्वारा धमकी दी गई, कि हम जबरदस्ती रास्ता ले लेंगे, तब पता चला कि गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय हो गया है, इससे पूर्व अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी, इस कारण अपील पेश करने में हुए देरी को माफ किया जावे।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 05 फरवरी 2016 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे तथा मामला पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट्स संख्या एक से तीन वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में काबिज-काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या एक के लिए आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपवलब्ध नहीं है। अपीलांट्स द्वारा अपील में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के आधर पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय मण्डल द्वारा समय-समय पर पारित निर्णय, नजीरों में मामले को निस्तारण तकनीकी आधार के बजाय गुणावगुण पर किये जाने के निर्देश जारी किये है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 02.03.2016 के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक ये तीन के आवागमन हेतु **खसरा नं. 738 में से मार्क ए से बी, बी से सी रास्ता मौके पर चालू** बताया **गया है** तथा खसरा नं. 719/1 में सें मार्क **सी से डी** रास्ता मौके पर बंद बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य मौका फर्द दिनांक 28.03.2013 में भी खसरा नं. 738/1 रकबा 0.06 बीघा मार्क ए से बी तथा खसरा नं.719/2 रकबा 1.02 बीघा मार्क सी. से डी. भूमि रास्ते के रूप में काम लिया जाना बताया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका फर्दो पर गौर किये बिना <u>प्रार्थीनीगण/रेस्पोडेंट</u> संख्या एक से तीन द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार नवीन रास्ते का आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 244/2012 दरियाव कंवर व अन्य बनाम भागीरथ इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 फरवरी 2016 को निरस्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह मौके पर चालू रास्ते की उभय पक्ष की उपस्थिति में स्पष्ट तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते विधिसम्मत आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर